संख्या– 219 /1–10–2015–33(16)/2015

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, पीलीभीत, बांदा, कन्नौज, मीरजापुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सोनभद्र, उन्नाव, आगरा, कानपुर नगर, अमेठी, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, औरैया, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, फैजाबाद, मुरादाबाद, कानपुर देहात, बरेली, शाहजहाँपुर एवं मथुरा।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ: दिनांक 07 अप्रैल, 2015

विषय: फरवरी/मार्च, 2015 में प्रदेश में हुई वर्षा एवं कतिपय स्थानों पर हुई चक्रवात/ओलावृष्टि के फलस्वरूप किसानों की फसलों को हुई क्षतिपूर्ति हेतु कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष भारत सरकार के मानक के अनुसार कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये कुल धनराशि **रू0 3,01,41,89,000/–(रूपये तीन अरब एक करोड़ इकतालीस लाख नवासी हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित धनराशि (लाख में)
1	महोबा	2500.00
2	हमीरपुर	1300.00
3	चित्रकूट	132.97
4	जालौन	2400.00
5	पीलीभीत	273.51
6	बांदा	2500.00
7	कन्नौज	535.10
8	मीरजापुर	27.88
9	इलाहाबाद	28.94
10	सहारनपुर	269.17

11	बदायू	583.10
12	आजमगढ	0.01
13	सोनभद्र	23.11
14	उन्नाव	1235.67
15	आगरा	509.45
16	कानपुर नगर	1400.00
17	अमेठी	45.82
18	इटावा	1157.79
19	फतेहपुर	805.40
20	फिरोजाबाद	84.91
21	झांसी	4000.00
22	ललितपुर	592.80
23	औरैया	383.66
24	मुजफ्फरनगर	527.03
25	लखीमपुर खीरी	0.95
26	प्रतापगढ	222.97
27	फैजाबाद	81.72
28	मुरादाबाद	29.27
29	कानपुर देहात	2437.50
30	बरेली	1517.95
31	शाहजहांपुर	1535.21
32	मथुरा	3000.00
	योग	30141.89

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

3- इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेत्तर यह सुनिश्चित किया जाय कि राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं- अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं सडक दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-10-2012 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1 दिनांक 16-01-2012 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, में जहां राहत प्रदान करने के लिए मानक निर्धारित है, उन मदों में आवश्यकतानुसार तत्काल व्यय की जायेगी। शासन के पत्र संख्या-जी0आई0-18/1-10-2012, दिनांक 25.10.2012 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र संख्या-32-3/2013-एनडीएम-1 दिनांक 28.09.2012 के माध्यम से एस0डी03आर0एफ0/ एन0डी03आर0एफ0 से नोटिफाइड दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करते हुये पुनरीक्षित नार्मस की सूचना उपलब्ध करायी गई है, का अनुपालन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24-09-2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाये।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढकर सुनाया भी जाये।

8- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय । राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश

संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

10- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

11- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

3/4/15

(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या :- 219 (1)/1-10-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।

6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,

7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।

8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

7/4/15

(मदन मोहन)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016
आवंटन दिनांक-07/04/2015

पेक्षण संख्या:- 2
आवंटन आदेश संख्या:- 002-1-10-2015
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-गतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
03 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	26917000 29417000	26917000 29417000
2	मुजफ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	52703000 55203000	52703000 55203000
3	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	300000000 302500000	300000000 302500000
4	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50945000 53445000	50945000 53445000
5	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	151795000 154295000	151795000 154295000
6	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	58310000 60810000	58310000 60810000
7	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2927000 5427000	2927000 5427000
8	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	153521000 156021000	153521000 156021000
9	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	27351000 29851000	27351000 29851000
10	इटावा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	115779000 118279000	115779000 118279000
11	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	140000000 142500000	140000000 142500000
12	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	80540000 83040000	80540000 83040000
13	इलाहाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2894000 5394000	2894000 5394000
14	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	400000000 402500000	400000000 402500000
15	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	240000000 242500000	240000000 242500000
16	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	130000000 132500000	130000000 132500000
17	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	250000000 252500000	250000000 252500000
18	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2788000 5288000	2788000 5288000
19	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	1000 2501000	1000 2501000

(शिवराम)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन

		प्रगामी		
20	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	123567000 126067000	123567000 126067000
21	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	95000 2595000	95000 2595000
22	फिजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8172000 10672000	8172000 10672000
23	प्रतापगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	22297000 24797000	22297000 24797000
24	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	59280000 61780000	59280000 61780000
25	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	243750000 246250000	243750000 246250000
26	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8491000 10991000	8491000 10991000
27	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2311000 4811000	2311000 4811000
28	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	250000000 252500000	250000000 252500000
29	औरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	38366000 40866000	38366000 40866000
30	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	53510000 56010000	53510000 56010000
31	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13297000 15797000	13297000 15797000
32	अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4582000 7082000	4582000 7082000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3014189000 3094189000	3014189000 3094189000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन अरब एक करोड़ इकतालीस लाख नवासी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन अरब नौ करोड़ इकतालीस लाख नवासी हजार

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन